भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।) प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 233/2012 के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के विधान सभा क्षेत्र रायपुर में सौड़ा–द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग (5.60किमी0) के नव निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित 3.01 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	3.01 हैक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	3.01 हैक्टर आरक्षित वन द्वारा क0सं0–4
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.2
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. –4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण कार्य में विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 616 वृक्ष वाधित होने निहित हैं। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची पृष्ठ सं0 39 से 45बी तक प्रस्ताव पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून की भू–गर्भीय आख्या संलग्नक–17 व 18 पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल रायपुर रेंज अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि के द्वारा क0सं0–4 एंव ग्राम द्वारा एंव इन सीमाओं से लगा हुआ है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक– 27 पर प्रमाण पत्र दिया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं

8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग, राजस्व विभाग एंव वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 24ए पर संलग्न है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन गें कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित कार्य के लिऐ अपेक्षित वन भूमि 3.01 है0 के प्रत्यावर्तन के बदले दुगने 6.02 अर्थात 6.00 है0 सिविल भूमि ग्राम द्वारा (समोली तोक) में क्षतिपूरक वनीकरण कार्य हेतु प्रस्तावित किया किया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	–
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्तावित कार्य के लिऐ अपेक्षित वन भूमि 3.01 है0 के प्रत्यावर्तन के बदले दुगने 6.02 अर्थात 6.00 है0 सिविल भूमि ग्राम द्वारा (समोली तोक) में क्षतिपूरक वक्षारोपण हेतु प्राक्कलन वर्तमान दरों पर रू0 7,80,000.00(रू0 सात लाख अस्सी हजार मात्र) प्रस्तावित है साथ ही प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 8,60,000.00 (रू0 आठ लाख साठ हजार मात्र) के प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक 46, 46 ए एंव 48, 48ए पर चस्पा है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	**प्रजातियां:–** जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। **कार्यान्वयन एजेन्सी:–** स्वयं वन विभाग। **समयः–** उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। **लागतः–** प्रस्तावित कार्य के लिऐ अपेक्षित वन भूमि 3.01 है0 के प्रत्यावर्तन के बदले दुगने 6.02 अर्थात 6.00 है0 सिविल भूमि ग्राम द्वारा (समोली तोक) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरों पर रू0 7,80,000.00(रू0 सात लाख अस्सी हजार मात्र) प्रस्तावित है
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	– – उक्तानुसार – –
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	ही प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 8,60,000.00 (रू0 आठ लाख साठ हजार मात्र) के प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित हैं।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एंव प्रस्तावक विभाग की दि0 10–12–2014 की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके संलग्नक– 10 पर है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण दि0 24–02–2015 को किया गया है, जो कि सलग्नक– 10ए पर की गई संयुक्त निरीक्षण के साथ संलग्न है।

12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	जिला– देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	2116.91 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 78 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 226.6905 है0 है, इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 164.737 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :– (ख) वनेतर भूमि पर:–	 (क) रिक्त (ख) 255.48 हैक्टेयर
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	 (क) 1– 255.48 है0 में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एंव स्थानीय विधि एंव नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट एंव प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों एंव राज्य की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत् प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन की संस्तुति की जाती है।

दिनांकः 25-2- 2015।

स्थानः– मसूरी,

हस्ताक्षर

नामः–(डा0 धीरज पाण्डेय)

सरकारी मुहर